



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 625 राँची, शुक्रवार, 28 आश्विन, 1945 (श०)
20 अक्टूबर, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2023

संख्या-13/ओ०-108/2023-4588-सी०, विभागीय अधिसूचना सं०-4180, दिनांक-13.09.2023 द्वारा श्री अजय कुमार सिन्हा, भा०पु०से० को मणिपुर हिंसा से संबंधित काण्ड के अनुसंधान हेतु सी०बी०आई० में प्रतिनियुक्त किया था, को श्री सिन्हा के स्वास्थ्य कारणों से उनकी प्रतिनियुक्ति को निरस्त किया जाता है तथा SLP(Civil)Dy No.-19206/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित न्यायादेश के अनुपालन में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार पत्रांक-I-21023/36/2023-IPS.III, दिनांक-16.08.2022 के आलोक में इनके स्थान पर श्री सुभाष चन्द्र जाट, भा०पु०से० (2015) पदस्थापन हेतु प्रतिक्षारत पुलस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को मणिपुर हिंसा से संबंधित

काण्ड के अनुसंधान हेतु सी०बी०आई० में प्रतिनियुक्त किया जाता है एवं सी०बी०आई० मुख्यालय, सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली में योगदान करने हेतु अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से विरमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।
